

Email

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या:- V/नि0-10-2/2018.....715...../बिहार मुकदमा नीति 2011 की कंडिका-4A के आलोक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत अधोलिखित संरचना के अनुसार शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) का पुनर्गठन किया जाता है :-

1. प्रधान सचिव/सचिव - अध्यक्ष
 2. आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक - सदस्य
 3. विशेष सचिव/उप सचिव - संयोजक सदस्य
 4. सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) - सदस्य
 5. सहायक आयुक्त उत्पाद, मुख्यालय/विशेष अधीक्षक उत्पाद - सदस्य
02. यह कमिटी कर्मचारियों की शिकायतों पर नियमानुसार विचार करेगी।
03. कर्मचारियों को अपने शिकायत के संबंध में माननीय न्यायालयों में जाने से पूर्व कमिटी के समक्ष अपनी शिकायत का निपटारा करने का अनुरोध करना आवश्यक होगा।
04. कमिटी समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी।
05. इस संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-2266 दिनांक 15.05.2015 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

ह0/-

(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 28.02.18.....

ज्ञापांक:- V/नि0-10-2/2018 715

प्रतिलिपि:- 1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

2. सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-6618 दिनांक-02.11.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव का कोषांग/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक का कोषांग/ विशेष सचिव का कोषांग/उप सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/18

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।